न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 29/2022

उनवान

1 सोजीनाथ उर्फ शोजीनाथ पुत्र छोगानाथ जाति जोगी नि0 रतनपुरा, नसीराबाद हाल नि. नयी पी0टी0एस0 के पीछे मालियों की बाडी, किशनगढ

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मोहननाथ,
2. मोटूनाथ,
3. परमेश्वरनाथ पि0 रंगानाथ जाति जोगी नि0 रतनपुरा नसीराबाद,
4. मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक नसीराबाद
5. मैनेजर बडौदा राज. ग्रामीण बैंक लोहरवाडा,
6. उप पंजीयक, नसीराबाद,
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :–1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
4 अनुपस्थित
6 व 7 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :–7.6.22

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हनुवंतिया के हाल खाता संख्या 214/204 किता 9 रकबा 1.59, खसरा नम्बर 1216/2627 रकबा 0.18, खाता संख्या 217/271 किता 2 रकबा 0.55, 218/205 किता 3 रकबा 0.69, 299/286 तिा 38 रकबा 4.26, 411/383 किता 20 रकबा 4.93, 216/44 किता 2 रकबा 0.45 व 440/412 किता 9 रकबा 1.46 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी को हडपने के आशय से प्रार्थी के परिवार के ही अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा बिना प्रतिफल राशि अदा किये विधि विरूद्व तरीके से शून्य विक्रय पत्र दिनांक 18.08.2021 को करा लिया। तथा आराजी मुतनाजा पर अवैध कब्जा व दखल करने पर आमादा अतः अप्रार्थी को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर इन्कार किया कि आराजी मुतनाजा जवाबकर्ता द्वारा विधिवत रूप से दिनांक 18.08.21 को क्रय की है। भूमि की सम्पूर्ण प्रतिफल राशि 2 गवाह के सामने प्रार्थी को अदा की। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में विधिवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 15:38:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

इकरारनामा करके सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त करके ही विक्रय पत्र निष्पादित कराया है। किन्तु प्रार्थी के मन में खोट होने के कारण व जवाबकर्ता के रूपये हडपने के आशय से उक्त वाद पेश किया है। विक्रय पत्र होने के बाद प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा का कब्जा जवावर्ता को संभला दिया है। तथा वर्तमान में कब्जा जवाबकर्ता का ही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहने से इस पत्रावली में अप्रार्थी की तामीली नही की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी है। प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा जरियें इकरारनामा दिनांक 4.8.21 को बैचान की तथा इकरारनामा की पालना में पंजीबद्व विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में निष्पादित कराया। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण ने बिना प्रतिफल राशि अदा किये उक्त विक्रय पत्र निष्पादित कराया है अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा में प्रतिफल राशि प्राप्त करने का अंकन व प्रार्थी के हस्ताक्षर है। विक्रय पत्र में भी सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्रापत करना प्रार्थी द्वारा दस्तावेज पंजीयन के समय स्वीकार किया है। धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादन के पश्चात विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। प्रश्नगत विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है साथ ही पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता जॉच करने का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को नही है। प्रार्थी को आराजी मुतनाजा की प्रतिफल राशि प्राप्त नही हुयी है तो इस हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु प्रार्थी स्वतंत्र है। राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदारी अंकन के आधार पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को भूमि का बैचान किया है। राजस्व अभिलेख अनुसार विक्रय पत्र विधिक है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। एवं उक्त विवेचन अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक अप्रार्थी विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा का बैचान जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को कर दिया है। उक्त विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त नही किया गया है। पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादन के बाद प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। अप्रार्थीगण को बिना किसी आधार पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत [illegible] दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के [illegible] है। तदनुसार सुविघा का संतुलन भी बहक अप्रार्थी सिद्व होता है। शेष [illegible] होगे।

आदेश :– अतः ग्राम हनु[illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:38:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)